

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्या: 04/2018

प्रार्थी

भीखाराम पुत्र सांकलाजी, जाति- रेबारी, निवासी- खेजडिया, तहसील- शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) हिराराम पुत्र थानारामजी, जाति- रेबारी, निवासी- खेजडिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही

(2) ग्राम पंचायत, केसरपुरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, केसरपुरा, तहसील-शिवगंज

“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति:

(1) अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, प्रार्थी की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

(3) अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से


-: निर्णय :-

दिनांक 07 फरवरी, 2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी हिराराम पुत्र थानारामजी रेबारी, निवासी- खेजडिया के पक्ष में पंचायत संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.9.2014 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, केसरपुरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण की ओर से अलग अलग जवाब भी प्रस्तुत हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम खेजडिया का स्थाई निवासी है तथा रेबारी समाज का सदस्य है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के हक में जारी विवादित पट्टे की भूमि रेबारी समाज के कब्जे हक अधिकार की भूमि है एवं प्रार्थी याचिकाकर्ता के हित भी उक्त भूमि में निहित है। प्रार्थी याचिकाकर्ता व रेबारी समाज द्वारा ग्राम पंचायत, केसरपुरा को ग्राम सभा में उक्त पट्टे जारी करने पर आपत्तियां दर्ज करवाई, लेकिन ग्राम पंचायत ने प्रार्थी व रेबारी समाज के सदस्यों की आपत्तियों पर गौर नहीं किया। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अप्रार्थी संख्या-1 से मेल मिलाप कर रेबारी समाज के चवरा भूमि की भूमि जो वर्षों से चवरे के काम में आ रही है जिसको अप्रार्थी संख्या-1 की पट्टे की भूमि में शामिल करके अप्रार्थी संख्या-1 के पक्ष में संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.9.2014 को पारित कर पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को जारी करने में कानूनन भूल की है। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम




अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



मेनु दो पर

157(1) के तहत पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-1 को ग्राम खेजडिया की उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी की सम्पूर्ण भूमि पर न तो कब्जा है नही कोई पुश्तैनी हक अधिकार की ही रहे है एवं न ही अप्रार्थी का उक्त भूमि पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा ही रहा है। अप्रार्थी संख्या-1 को अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रार्थी के समाज की चवरे की भूमि की भूमि को सम्मिलित कर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-1 के हक में पट्टा जारी किया है। यह कि प्रार्थी के रेबारी समाज के कब्जे हक अधिकार की भूमि को अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा पुश्तैनी कब्जे की भूमि बताकर गलत तथ्य बनाकर उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर भूमि का गलत रूप से विनियमितकरण राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 के पट्टे में अंकित उक्त भूमि में से 7 गुणा 31.6 फीट भूमि प्रार्थी के समाज के कब्जे अधिकार की है तथा 5 फीट गुणा 31.6 फीट भूमि सार्वजनिक भूमि है जिस पर अप्रार्थी संख्या-1 का कब्जा नही रहा है, न ही अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का 50 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूमि पुश्तैनी ही है। उक्त भूमि में रेबारी समाज के वर्षों पुराने कब्जे स्वामित्व की भूमि को मिलाते हुए अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के हक में पट्टा जारी किया है एवं पट्टा जारी करने से पूर्व कोई आपत्तियां आमंत्रित नही की गई। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने इस बात पर गौर नही किया कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग नाम से तीन पट्टे जारी किये गये है जो उनके कब्जे की भूमि से अधिक व रेबारी समाज की भूमि की 7 गुणा 31.6 फीट भूमि व 5 फीट गुणा 31.6 फीट भूमि सार्वजनिक भूमि को शामिल कर उक्त विवादित पट्टे थानाजी के पुत्रों के नाम से जारी किये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जारी उक्त विवादित पट्टे में अंकित की भूमि की पैमाईश मौका निरीक्षण कार्यालय पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा गठित करने पर पश्चिम दिशा की 7 गुणा 31.6 फीट भूमि व 5 फीट गुणा 31.6 फीट भूमि सार्वजनिक भूमि हिराराम के हक अधिकार से अधिक का पट्टा जारी कर दिया है जबकि उक्त अधिक भूमि रेबारी समाज की चतरा भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग रेबारी समाज द्वारा के पंच पंचायती के लिये जाता है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का उल्लंघन कर रेबारी समाज के कब्जे अधिकार व चवरे की भूमि व सार्वजनिक भूमि का अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 05.9.2014 व पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम वाण का निवास है, जहां से वह उत्तरी भागली निवास कर रहा है। प्रार्थी ने गोचर भूमि में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी संख्या-1 को जारी पट्टे की भूमि रेबारी समाज के कब्जे हक अधिकार की भूमि नही है। प्रार्थी व रेबारी समाज द्वारा ग्राम पंचायत, केसरपुरा में पट्टा जारी करने पर ग्राम सभा में कभी कोई आपत्ति दर्ज नही करवाई है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पुश्तैनी आवास का पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा भूमि का आवंटन नही किया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पुश्तैनी आवास की भूमि का विधि अनुसार विनियमितकरण किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी को आपत्ति करने का विधि में कोई हक अधिकार ही नही है। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पुश्तैनी आवास का पट्टा नाप जोख कर पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के आवास के पश्चिम में अप्रार्थी संख्या-1 (एक) व अन्य सह स्वामियों

.....पेज तीन पर



अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



के शामलाती भूमि थी जिसका पट्टा जारी नहीं किया गया था। उक्त शामलाती भूमि पर पहले पुरानी पोल बनी हुई थी, जो अत्यधिक जर्जर होने से गिर गई थी। उक्त पोल के पश्चिम में आम रास्ता है। रेबारी समाज का मौके पर कोई चवरा कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है तथा न ही मौके पर चवरे का कोई अस्तित्व ही है। रेबारी समाज की मौके पर कोई भूमि नहीं है तथा न ही मौके पर रेबारी समाज का कभी भी कब्जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पुश्तैनी आवास की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के दादा के जीवन काल से इस भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ है तथा पूरे जीवनकाल में इसी भूमि पर बने मकानों में निवास किया है एवं अप्रार्थी संख्या-1 (एक) व उसके भाईयों के मध्य हुये विभाजन में अप्रार्थी संख्या-(एक) के हिस्से में आई सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी संख्या-1 के हक में नियमानुसार जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ग्राम खेजडिया का मूल निवासी नहीं है। प्रार्थी ग्राम वाण का मूल निवासी है जो वर्ष 1994-1995 में अपने परिवार के साथ ग्राम खेजडिया में आकर बसा है व गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाया है। यह कि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की पुश्तैनी सम्पत्ति आम रास्ते के पूर्व दिशा में स्थित है, आम रास्ते में पुश्तैनी शामलाती पोल बनी हुई थी, जो वर्तमान में टूट गई है। पॉल के बाद पूर्व दिशा में शामलाती भूमि व पुश्तैनी आवास बने हुए है। उक्त आवासीय सम्पत्ति गांव की आबादी में स्थित है जिसके आस पास में आवासीय मकान पुराने बने हुये है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की पुश्तैनी पॉल के आगे साईड में मन्दिर बना हुआ है, जो रास्ते की भूमि में बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की पुश्तैनी भूमि को रेबारी समाज के पंचों द्वारा हडप करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया हैं। यह कि दिनांक 08.9.2017 को रेबारी समाज के सभी पंचगण खेडादेवी मन्दिर के वहां पर इक्ठठा हुए तथा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) व उसके भाईयों से उनके संयुक्त स्वामित्व की पॉल समाज के नाम से करने हेतु दवाब डाला, जिस पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के भाईयों द्वारा इन्कार कर दिया, जिस पर सभी को समाज से बाहर कर दिया तथा उसके बाद उन पर हमला किया। प्रार्थी व रेबारी समाज के लोगों के भय से अप्रार्थी अपने घरों में नहीं जा सकते है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। पट्टा जारी किया गया है वह सही जारी किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी पक्षकार से कोई मेल मिलाप नहीं किया है तथा विधि अनुसार नियमों का पूर्णरूप से अनुसरण कर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को कब्जे अनुसार ही पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या-2 (दो) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 (दो) के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पट्टा जारी किया गया है वह सही जारी किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी पक्षकार से कोई मेल मिलाप नहीं किया है तथा विधि अनुसार नियमों का पूर्णरूप से अनुसरण कर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) को कब्जे अनुसार ही पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.9.2014 के अनुसरण में अप्रार्थी हिराराम पुत्र थानारामजी, जाति- रेबारी, निवासी- खेजडिया

.....पेज चार पर


अति. जि. कलक्टर
सिरोही (राज.)



के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2520 वर्गफीट का पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को जारी किया गया है। वर्तमान में प्रभावी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा:-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-


(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जिस भूमि का जारी किया गया है उसमें रेबारी समाज के चवरे की भूमि व सार्वजनिक भूमि भी सम्मिलित है। ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के हक में रेबारी समाज की व सार्वजनिक भूमि का पट्टा जारी किया गया है।" जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पुश्तैनी आवास का पट्टा नाप जोख कर पूर्ण प्रक्रिया के तहत जारी किया है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के आवास के पश्चिम में अप्रार्थी संख्या-1 (एक) व अन्य सह स्वामियों के शामिली भूमि थी जिसका पट्टा जारी नहीं किया गया था। उक्त शामिली भूमि पर पहले पुरानी पोल बनी हुई थी, जो अत्यधिक जर्जर होने से गिर गई थी। उक्त पोल के पश्चिम में आम रास्ता है। रेबारी समाज का मौके पर कोई चवरा कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा है तथा न ही मौके पर चवरे का कोई अस्तित्व ही है। रेबारी समाज की मौके पर कोई भूमि नहीं है तथा न ही मौके पर रेबारी समाज का कभी भी कब्जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पुश्तैनी आवास की भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के दादा के जीवन काल से इस भूमि पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या-1 (एक) का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ है तथा पूरे जीवनकाल में इसी भूमि पर बने मकानों में निवास किया है एवं अप्रार्थी संख्या-1(एक) व उसके भाईयों के मध्य हुये विभाजन में उसके के हिस्से में आई सम्पत्ति का पट्टा अप्रार्थी हिराराम के हक में नियमानुसार जारी किया गया है।"

इस संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पंचायत समिति, शिवगंज के पंचायत प्रसार अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह व श्री श्याम सुन्दर सिंह द्वारा पत्र क्रमांक:पंसशि/2017/251 दिनांक 25.9.2017 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति,पेज पांच पर


अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



शिवगंज को प्रेषित रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्राम खेजडिया के उक्त भूमि विवाद स्थल पर कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया ग्राम पंचायत द्वारा एनओसी जिस भूमि की जारी की गई है वह छोगाराम एवं हिराराम के पट्टाशुदा भूमि में आती है शेष 5 फीट भूमि सार्वजनिक रहती है। कमेटी द्वारा तीनों पट्टों पट्टे की मौका अनुसार पैमाईश करने पर पश्चिम दिशा निकासी में चतराराम के हक में 31 फीट लम्बी अधिक है जो पट्टे की भूमि से अधिक है। कमेटी द्वारा पैमाईश करने के उपरान्त पाया कि विवादित भूमि 7'x31.6' छोगाराम, हिराराम के पट्टेशुदा हक में आती है। मौके पर 5'x31.6 भूमि सार्वजनिक भूमि है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.9.2017 के संलग्न प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.9.2017 (जो श्री राजेन्द्र सिंह एवं श्री श्याम सुन्दर सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, केसरपुरा की उपस्थिति में तैयार की गई है) में यह अंकित किया है कि पट्टा संख्या 16/28.10.2014, 17/228.10.2014 व 18/28.10.2014 की पैमाईश की गई। छोगाराम के पट्टा अनुसार पैमाईश की गई जिसमें उत्तर दिशा में जहां मौका अनुसार मोमाजी मन्दिर पास समाज के बैठने की पोल (सार्वजनिक सवरा) था, जहां समाज द्वारा कच्ची पोल को हटाने पर विवाद बढ़ा। जहां पैमाईश करने पर छोगाराम के हिस्से में 8' फीट भूमि सार्वजनिक सवरा में पट्टा अनुसार है, रास्ता निकासी पश्चिम दिशा में तीनों भाइयों के 51 फीट होना चाहिये। जहां मौका अनुसार 49' फीट है। मौका पैमाईश करने पर सार्वजनिक सवरा जो समाज बता रहा है, वह पट्टे से शेष 5'x31.6 भूमि रहती है जो पट्टे हक में नहीं है, विवाद स्थान की साईज 12'x31.6' भूमि है जिसमें छोगाराम के पट्टे में 7'x31.6' आ रही है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2017 एवं मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 25.10.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की एवं मौके पर कब्जे की सही रूप से जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को जारी किया गया है, जिसमें उक्तानुसार रेबारी समाज के चवरे की सार्वजनिक भूमि भी सम्मिलित है, जो विधि विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन सारवान होने व साबित होने से स्वीकार कर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत, केसरपुरा को विवादित पट्टे की भूमि के मौके की सही रूप से जांच करने एवं बाद जांच पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों अर्न्तगत विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं साबित होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा पारित संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.9.2014 एवं इस संकल्प के अनुसरण में अप्रार्थी हिराराम पुत्र थानाराम जी रेबारी, निवासी- खेजडिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.10.2014 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, केसरपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित पट्टे की भूमि के मौके की सही रूप से जांच करे एवं बाद जांच पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों अर्न्तगत विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 07 फरवरी, 2024 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर बिशनोई)
अति. जिला कलक्टर
सिराही (राज.)